फार्म सं. अं.वि.:पीएम:20

भारत सरकार / Government of India अंतरिक्ष विभाग / Department of Space

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान INDIAN INSTITUTE OF SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY क्रय प्रभाग / PURCHASE DIVISION

विलयमला, तिरुवनंतपुरम / Valiamala, Thiruvananthapuram 695 547

केरल, भारत / Kerala, India

फोन/Phone: 0471-2568451 फैक्स/Fax:0471-256 8406/ई-मेल/E-mail ID:purchase@iist.ac.in

निविदाकारों को अनुदेश एवं निविदा की शर्तें एवं निबंधन

अनुदेश

- 1. निविदाओं को सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए, जिसके ऊपर संबंधित निविदा सं. तथा उसके खोलने की नियत तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो। एक लिफाफे में मात्र एक ही निविदा भेजी जानी चाहिए।
- 2. देर से भेजी गई तथा विलंब से भेजी गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3. बिक्री कर तथा/अथवा अन्य शुल्क/उगाही, जो कानूनी तौर पर उद्ग्राहय है तथा जिनका दावा किया जा सकता है, उन्हें निविदा में अलग से दिखाया जाना चाहिए।
- 4. भारत सरकार के विभाग के तौर पर, इस कार्यालय को चुंगी तथा समान स्थानीय उगाहियों के भुगतान करने से छूट दी जाती है। निविदादाताओं को ऐसी उगाहियों की किसी प्रकार के भुगतान से बचने के लिए संबंधित क्रय अधिकारी से आवश्यक छूट प्रमाण-पत्र प्राप्त करना, सुनिश्चित कर लेना चाहिए।
- 5. (क) आपकी दर-सूची निविदा के खोलने के दिनांक से 90 दिनों तक वैध रहेगी।
 - (ख) अनुबंधित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित इकाईयों के अनुसार कीमतों को उद्धृत किया जाना चाहिए। जब दर-सूची, निविदा प्रपत्र में विनिर्दिष्ट इकाइयों के अलावा अन्य इकाइयों के अनुसार दिया जाता है, तब दोनों इकाइयों के बीच के संबंध की जानकारी दी जानी चाहिए।
- 6. उन निविदाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो स्थल पर गंतव्य हेतु/डिलीवरी के आधार पर तैयार स्टॉक से पूरी आपूर्ति करते हैं।
- 7. (क) प्रस्ताव के साथ सभी उपलब्ध तकनीकी साहित्य, केटलॉग तथा सामग्री के विनिर्देशन तथा ब्यौरों के समर्थन में अन्य ऑकड़े प्रस्त्त किए जाने चाहिए।

- (ख) यदि नमूनों की मांग की जाए, तो निविदादाताओं द्वारा उसे निशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार की हानि या क्षिति के लिए क्रेता उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा के अस्वीकार होने पर, निविदादाता को अपने स्वयं के खर्च पर नमूनों को ले जाना होगा।
- (ग) आपके प्रस्ताव में प्रस्तावित सामग्रियों के अनुमानित सकल तथा निवल भार का उल्लेख होना चाहिए। यदि आयामी ब्यौरे उपलब्ध है तो उसका उल्लेख अपने प्रस्ताव में अवश्य करना चाहिए।
- (घ) विनिर्देशन:- प्रस्तावित माल पूरी तरह से हमारे द्वारा दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार होना चाहिए। यदि कोई बदलाव है तो, उसके बारे में निविदादाता द्वारा अपने दर-सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। निविदादाता द्वारा दिए जाने वाले माल का निर्माण/प्रकार का उल्लेख करना चाहिए तथा जहां आवश्यक हो, दर-सूची सहित केटलॉग, तकनीकी साहित्य तथा नमूने सभी प्रदान करने चाहिए। आपूर्ति किए जाने वाले माल सहित, जहां आवश्यक हो, जांच प्रमाण-पत्र भी प्रेषित करना चाहिए। जहां कहीं भी हमारे द्वारा दिए गए विनिर्देशनों में विकल्पों की मांग की गई है, निविदादाता को उन विकल्पों का ध्यान रखना होगा। जहां कहीं भी हमारे द्वारा दिए गए विनिर्देशनों उस हेतु उपयुक्त प्रतिक्रिया सहित बदलावों की सुझाव दे सकता है।
- 8. क्रेता के पास न्यूनतम या अन्य निविदा को स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं होगी तथा पूरी निविदा या उसके किसी भाग अथवा प्रस्तावित मात्रा के भाग को स्वीकार करने का अधिकार होगा तथा निविदादाता उद्धृत किए गए दरों पर ही आपूर्ति करेगा।
- 9. यदि कोई सुधार किए गए हैं तो उसको सत्यापित किया जाना चाहिए। सभी प्रकार की राशियों को शब्दों तथा अंकों में लिखा जाना चाहिए। जहां कहीं भी उद्धृत राशि में कोई विसंगति पाई जाती है, तो ऐसे में शब्दों में उल्लेखित राशि मान्य होगी।
- 10. यदि क्रेता द्वारा मांग की जाए तो, निविदादाता को अपनी निविदा के साथ, अपने बैंकरों का नाम तथा संबंधित शाखा के आयकर अधिकारी द्वारा नियत रूप से प्रतिहस्ताक्षरित अद्यतन आयकर निर्वाधन प्रमाण-पत्र, अपने कार्यालय के मोहर के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 11. क्रेता के पास यह अधिकार है कि वह सफल निविदादाता से उद्धृत किए गए दरों पर 25% तक की मात्रा तक अतिरिक्त मात्रा के आदेश दे सकता है।
- 12. यदि आवश्यक हो तो, निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के प्राधिकार को प्रस्तुत किया जाना होगा।

निविदा के निबंधन एवं शर्ते

परिभाषा:

- (क) 'क्रेता' शब्द का अर्थ है भारत के राष्ट्रपति अथवा उनके उत्तराधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति।
- (ख) 'संविदाकार' शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी जिनके साथ या जिसके साथ माल की आपूर्ति के लिए आदेश दिया गया है तथा इसमें संविदाकार के उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, वारिस, कार्यपालकों तथा प्रशासकों को शामिल किया गया है, अन्यथा जिन्हें संविदा दवारा शामिल नहीं किया गया हो।
- (ग) 'माल' शब्द का अर्थ है संयत्रों एवं मशीनरी की स्थापना तथा उसके बाद उनके परीक्षण को शामिल करता हुआ क्रय आदेश में उल्लेखित संविदा के अंतर्गत संविदाकर्ता जिसकी आपूर्ति करने को तैयार है, क्या ऐसी परिस्थितियों को क्रय आदेश में शामिल किया गया है।
- (घ) 'क्रय आदेश' शब्द का अर्थ है कि संयंत्र के माल, मशीनरी या उनके पुर्जें की आपूर्ति के लिए संविदाकार की निविदा या प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए किए गए पत्राचार में उल्लेखित या संदर्भित शर्तों एवं नियमों पर क्रेता की ओर से स्वीकृति सूचित करने हेत् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा क्रेता की ओर से हस्ताक्षर किया गया पत्राचार।

कीमत:

उस निविदा को प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं। जहां कहीं भी निविदादाता द्वारा कीमत में बदलाव के खंड पर जोर दिया गया हो, वहां उनके द्वारा तर्कसंगत उच्चतम कीमत के साथ दर-सूची प्रस्तुत करना होगा। ऐसे प्रस्तावों को निश्चित रूप से निविदा प्रस्तुत करते समय के मूल कीमत के साथ तथा ऐसे किसी बदलाव के कारण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

3. प्रतिभूति जमा:

निविदा को स्वीकार करने के बाद, संविदाकार को क्रेता के विकल्प पर तथा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट अविध के भीतर नकद या क्रेता द्वारा निर्धारित अन्य किसी रूप में जमा किया जाना चाहिए। प्रतिभूति जमा, क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट संविदा के मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि क्रेता द्वारा संविदाकार से 'प्रतिभूति' को जमा करने के लिए कहा जाए और संविदाकार निर्दिष्ट अविध के भीतर प्रतिभूति जमा न कर पाए तो इसे संविदा का उल्लंघन माना जाएगा, तथा क्रेता, इसमें खंड 10 (बी) के उप-खंड (ii) तथा (iii) के अनुसार/अथवा ऐसे

नामंजूर किए गए संविदा से हुए क्षिति की वसूली द्वारा संविदाकार के अपने जोखिम पर माल के पुन: क्रय हेतु अन्य प्रबंध करने के हकदार होगा।

4. गारंटी एवं बदलना:

- (क) संविदाकार को यह गारंटी देनी होगी कि आपूर्ति किया जा रहा माल, सामग्री, कार्यकुशलता तथा निष्पादन के लिए दिए गए विनिर्देशनों के अनुरूप है।
- (ख) माल को स्वीकार करने के बारह महीनों के बाद, यदि उसमें कोई खराबी पाई जाती है तथा सही तरह से उपयोग करने के दौरान दोषपूर्ण माल डिजाइन या कार्यकुशलता के कारण उसमें कोई कमी पाई जाती है तो संविदाकार ऐसी खराबी का निवारण अपने स्वयं के खर्चे पर करेंगे, बशर्तें ऐसा माल के स्वीकार करने के 14 महीनों के भीतर हो तथा उन्हें लिखित में यह बताया जाए कि उसके माल के किस भाग में खराबी है।
- (ग) यदि क्रेता की राय में, किसी भी खराब माल की प्रतिस्थापना या उसे पुन: जारी करना आवश्यक बन जाता है तो, संविदाकार को क्रेता को ऐसे खराब सामानों को बदलने या उसे पुन: नि:शुल्क जारी करना चाहिए, बशर्ते क्रेता द्वारा ऐसी खराबी की सूचना संविदाकार को उसे स्वीकार करने के दिनांक से 14 महीनों के भीतर मिले।
- (घ) यदि संविदाकार उन खराबियों को ठीक करने से चूके तो क्रेता के पास यह अधिकार होगा कि वह उस माल को नामंजूर कर सकता है या उस पूरे माल या पूरे माल के किसी भी खराब भाग की मरम्मत या बदलना संविदाकार की कीमत पर कर सकते हैं।
- (ङ) क्रेता की ओर से किसी भी पूर्व अनुमोदन या स्वीकार्यता या उसके निरीक्षण के लिए क्रेता के निर्णय को न मानते हुए, संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए माल में खराबी है या 12 महीनों की उक्त अविध के दौरान कोई खराबी उत्पन्न हुई तो क्या उसके लिए नए माल को पुन: जारी या बदला जाना चाहिए, यह निर्णय अंतिम होना चाहिए तथा संविदाकर्ता पर भी लागू होना चाहिए।
- (च) ऊपर दिए गए खंड 4 (क) से (ङ) में दी गई गारंटी शर्तों को पूरा करने के लिए, संविदाकार को क्रेता की राय से बैंक गारंटी (क्रेता द्वारा निर्धारित) प्रस्तुत करना चाहिए; जो क्रेता द्वारा अनुमोदित हो तथा पहले नौवहन भार दस्तावेजों के साथ संविदा के मूल्य के 10%के समतुल्य राशि का होना चाहिए। सभी ओर से संविदा के निष्पादन तथा उसके पूरे होने पर, बैंक गारंटी संविदाकार को बिना किसी ब्याज के लौटा दी जाएगी।
- (छ) सभी बदले हुए मालों के लिए भी क्रेता के पास 12 महीनों की अवधि की गारंटी दी जाएगी।

(ज) सभी मालों के लिए जहां 12 महीने की गारंटी लागू है, उन मामलों में हमारे विनिर्देशों द्वारा जहां अधिक अविध की मांग की गई हो, उन मामलों में, पैरा 4 (ख) एवं (ग) में संदर्भित 14 महीनें तथा और दो महीने गारंटी अविध के लिए 'मांग' की जा सकती है।

5. पैकिंग अग्रेषण एवं बीमा:

संविदाकार माल के पर्याप्त तथा सही तरह से पैकिंग कर रेल, सड़क, समुद्र या हवाई द्वारा परिवहन हेतु जिम्मेदार है ताकि पारवहन जोखिमों से बचकर गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाया जा सके। माल की पैकिंग तथा मार्किंग संविदाकार को अपने खर्चे पर करना होगा। क्रेता को अलग से पारवहन बीमा का भुगतान नहीं करना होगा। पारवहन के सभी जोखिमों को पूर्ण रूप से संविदाकार वहन करता है तथा क्रेता मात्र उन मालों के लिए भुगतान करता है, जो संविदा के अनुसार, वास्तविक रूप से ठीक हाल में प्राप्त किए गए हों।

प्रेषण:

संविदाकार की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रेषित माल के लिए परिवहन अधिकारियों द्वारा सही रसीद प्राप्त करे। माल को सही रेलवे रसीद/लॉरी रसीद सहित प्रेषित किया जाना चाहिए। यदि किसी और तरीके से भेजा गया हो तो यह संविदाकार के अपने जोखिम पर होगा। 'दिए गए निर्देश' के अनुसार यदि कम डिलीवरी की गई हो अथवा गलत माल की आपूर्ति की गई हो तो, इसके लिए क्रेता जिम्मेदार नहीं होंगे। क्रेता केवल उन्हीं मालों का भुगतान करेंगे, जिनको उन्होंने संविदा के अनुसार वास्तव में प्राप्त किया हो।

7. जांच प्रमाण-पत्र:

जब भी आवश्यक हो, प्रेषण दस्तावेजों के साथ जांच प्रमाण-पत्र भेजे जाने चाहिए।

8. माल की स्वीकार्यता:

- (क) संविदाकार द्वारा उनके स्वयं के जोखिम, खर्च तथा लागत पर क्रेता द्वारा निर्दिष्ट स्थलों पर निरीक्षण हेतु मालों के लिए निविदा देनी चाहिए।
- (ख) ठेके हेतु मालों की स्वीकार्यता का अंतिम तौर पर अनुमोदन क्रेता पर निर्भर है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- (ग) यदि क्रेता की राय में, क्रय आदेश में दिए गए आवश्यकताओं के अनुसार सभी माल या कोई भी माल, निष्पादन या गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, या उसे नामंजूर किया जा सकता है या फिर क्रेता द्वारा तय किए गए कीमत पर स्वीकार किया

जा सकता है तथा उनके द्वारा नामंजूर करने तथा कीमतों को तय करने का निर्णय अंतिम होगा तथा संविदाकार पर बाध्यकारी होगा।

(घ) यदि उपरोक्त खंड 8 (ग) के अनुसार आपूर्ति किए गए सारे माल या उसके किसी भाग को नामंजूर किया जाता है, क्रेता को यह छूट होगी कि संविदाकार को सूचना सिहत या फिर बिना किसी सूचना के खुले बाजार से संविदाकार के खर्चे पर, नामंजूर किए गए संविदागत गुणवत्ता तथा आवश्यक निष्पादन को पूरा करने वाले माल का या तो क्रय कर सकते है या उपरोक्त उल्लेखित माल की नामंजूरी के दिनांक से छह महीनों के भीतर अन्य किसी आपूर्तिकर्ता से उसका क्रय कर सकते हैं।

9. नामंजूर माल:

नामंजूर माल संविदाकार के अपने जोखिम तथा उत्तरदायित्व पर गंतव्य स्थान पर रखे जाएंगे। यदि अस्वीकृति के दिनांक से 14 दिनों के भीतर संविदाकार द्वारा उसके निपटारे हेतु कोई अनुदेश प्राप्त न हो, तो क्रेता अथवा उसके प्रतिनिधि अपने विवेकाधिकार द्वारा संविदाकार के जोखिम तथा खर्च पर तथा उनके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक भाड़े पर, उस माल को कबाड़ समझ या उसे बेच सकते हैं या संविदाकार के पते पर वापस भेज सकते हैं।

10. **डिलीवरी**:

- (क) क्रय आदेश में माल की डिलीवरी के लिए दिया गया समय संविदा का अंग है तथा डिलीवरी विनिर्दिष्ट दिनांक या फिर उससे पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।
- (ख) यदि संविदाकार किसी भी माल की निर्धारित डिलीवरी समय के भीतर नहीं कर पाता है तो, क्रेता अपने विकल्प च्न सकता है।
 - (i) संविदाकार से सहमित अनुसार हुई हानियों के लिए, दंड के तौर पर नहीं, बल्कि उपरोक्त अनुसार किसी भी माल के मूल्य के कुल 0.5% प्रति सप्ताह, जो कि संविदाकार डिलीवर नहीं कर पाया वसूल कर सकता है अथवा उस दौरान ऐसे मालों की डिलीवरी जो बकाया हो, कम-से-कम उसके 10% के अनुसार वसूल कर सकता है, अथवा,
 - (ii) बिना संविदाकार की सूचना के तथा उनके स्वयं के जोखिम पर कहीं और से क्रय करने हेतु, डिलीवर नहीं किए गए माल या समान विवरण वाले (जहां विवरण के अनुसार अन्य का पूरा अनुपालन हो रहा है, तथा क्रेता की राय में आसानी से खरीदने के योग्य है, ऐसे निर्णय अंतिम होंगे), इन सामानों के संबंध में जिनकी डिलीवरी अब तक नहीं हुई, अथवा,

(iii) संविदाकार के अपने जोखिम तथा लागत पर संविदा या उसके भाग को रद्द करने तथा यदि वांछित हो तो, समान विवरण वाले या न डिलीवरी किए गए या क्रय को प्राधिकृत करने (जहां विवरण के अनुसार, अन्य का पूरा अनुपालन हो रहा है, तथा क्रेता की राय में आसानी से खरीदने के योग्य है, ऐसे निर्णय अंतिम होंगे)

उपरोक्त खंड 10 (ख) के उप-खंड (ii) एवं (iii) के अंतर्गत की गई कार्रवाई के संबंध में, संविदाकार किसी भी प्रकार की हानि, जो उस समय क्रेता को उठानी पड़ सकती है, उसके लिए जिम्मेदार होगा, बशर्तें पुन: क्रय अथवा पुन: क्रय हेतु समझौते ऐसी हानि के दिनांक के छह महीनों के भीतर किए गए हो। परंतु संविदाकार ऐसी गलती के कारण पुन: क्रय पर किसी भी प्रकार के लाभ हेतु हकदार नहीं होगा। क्रेता के लिए गलती करने वाले संविदाकार को ऐसे पुन: क्रय हेतु सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले में सही यही होगा कि संविदाकार द्वारा संविदा के उल्लंघन हेतु क्रेता के पास यह अधिकार होगा कि हुई हानि की वसूली के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह से संविदाकार से करें।

11. समय सीमा बढ़ाना:

जैसे ही यह स्पष्ट हो जाए कि संविदा दिनांकों का पालन नहीं किया जा सकता है तो संविदाकार द्वारा क्रेता को आवेदन भेजना चाहिए। यदि संविदाकार की ओर से, माल की डिलीवरी समय पर न की गई हो, तथा क्रेता का यह मानना है कि ऐसा किसी तर्कसंगत कारण से हुआ है तो, परिस्थितियों के औचित्य को समझते हुए ठोस आधार पर अतिरिक्त समय सीमा बढ़ाने की अनुमति (और उनका निर्णय अंतिम होगा) बिना किसी पूर्वाग्रह के खंड 10 के अंतर्गत नुकसानी की वसूली का अधिकार क्रेता को है।

12. संयंत्र एवं मशीनरी का परिनिर्माण:

संविदा के शर्तों के अनुसार जब कभी भी किसी संयत्र या मशीनरी के परिनिर्माण की जिम्मेदारी संविदाकार की होती है तथा यदि संविदाकार क्रेता द्वारा दिए गए निर्धारित अविध में उस निर्माण को पूरा नहीं कर पाता, तब क्रेता के पास यह अधिकार होता है कि वह अपनी पसंद की स्रोत से उस निर्माण को पूरा कर सकता है। ऐसे में, संविदाकार को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त व्यय को वहन करना पड़ सकता है जो निर्माण हेतु क्रेता द्वारा वहन किया गया है। हालांकि क्रेता द्वारा किए गए ऐसे किसी भी कार्रवाई के कारण किसी भी प्रकार के लाभ हेतु संविदाकार हकदार नहीं होगा।

13. **भुगतान:**

संविदाकार का बिल भुगतान के लिए तभी पारित किया जाएगा जब क्रेता द्वारा माल को प्राप्त कर उसका निरीक्षण तथा उसे स्वीकार कर लिया गया हो।

14. भगतान का तरीका:

सामान्यत: प्राप्त किए गए माल का भुगतान उसकी प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर किया जाता है।

15. देय राशि की वसूली:

जब कभी भी भुगतान हेतु कोई दावा, फिर चाहे वह परिसमाप्त हो या न हो, या संविदाकार के प्रति इस संविदा के अंतर्गत या उसकी वजह से इकट्ठा हुआ धन क्रेता पूर्ण रूप या भाग में समायोजित करते हुए उसके द्वारा जमा किए सुरक्षा जमा, यदि संविदा हेतु सुरक्षा जमा ली गई हो की वसूली हेतु हकदार है। सुरक्षा जमा के अपर्याप्त होने के कारण अथवा यदि संविदाकार से कोई सुरक्षा जमा नहीं लिया गया हो, तब शेष राशि या वसूली की जाने वाली पूरी राशि, मामला जो भी हो, किसी भी प्रकार की देय राशि से या क्रेता के साथ किसी अन्य संविदा के अंतर्गत संविदाकार की ओर से देय हो, से कटौती की जा सकती है। यदि यह राशि वसूल की जाने वाली राशि से कम है तो संविदाकार को क्रेता द्वारा मांग किए जाने पर शेष बकाया राशि का भुगतान करना होगा। ऐसे ही, यदि क्रेता कोई दावा करता है, चाहे वह परिसमाप्त हो या न हो या संविदाकार के प्रति इस संविदा के अंतर्गत सुरक्षा जमा सहित संविदाकार के सभी देय धन को तब तक रोक कर रखा जाना चाहिए जब तक क्रेता के दावों पर पूरी तरह से निर्णय न कर लिया गया हो तथा संविदाकार द्वारा भुगतान नहीं कर लिया गया हो।

16. **क्षतिपूर्ति:**

संविदाकार को यह वारंटी देनी होगी या यह बताना होगा कि संविदा के तहत आपूर्ति किए गए माल द्वारा किसी भी प्रकार के पेटेंट, कॉपीराईट या ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा हर समय क्रेता को डिजाइन के पेटेंट पंजीकरण या ट्रेडमार्क के उल्लंघन हेतु माल के संबंध में सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करना होगा तथा दुर्घटना या हानि के सभी जोखिमों को उठाना होगा, जिसके कारण आपूर्ति में चूक होती है। तथा संविदा को पूरा करने के लिए उनके द्वारा प्रयोग किए गए सभी माध्यमों तथा प्राप्ति की पूरी जिम्मेदारी उनके द्वारा उठाई जाती है।

17. **मध्यस्थता**:

इन स्थितियों में या क्रय आदेश में शामिल किसी भी स्थित के अंतर्गत उठाए गए कोई भी सवाल, विवाद या विसंगित के मामले में अथवा इस संविदा के संबंध में (किसी भी ऐसे मामले को छोड़कर जो विशेष कर इन स्थितियों में उत्पन्न होते हैं) उठाए गए सवाल को क्रय कार्यालय के प्रधान के एकमात्र मध्यस्थता या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया जाना चाहिए। इसमें कोई आपित नहीं होगी यदि मध्यस्थता करने वाला सरकारी कर्मचारी है तथा संविदा से संबंधित मामलों पर कार्य करता है अथवा सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपने दायित्वों को निभाते हुए उसने विवादित या विसंगत सभी या अन्य किसी मामले में अपने

विचार व्यक्त किए हो। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा वह इस संविदा के सभी पक्षकारों पर लागू होगा।

यदि मध्यस्थ केंद्र/यूनिट का प्रधान है तो-

- (i) उनके स्थानांतरण या इस्तीफा द्वारा या अन्य किसी कारण से अपना पद छोड़ने के कारण, यह कानूनी तौर पर सही होगा कि या तो उनको उत्तराधिकारी स्वयं इस कार्य को आगे बढ़ाए, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करे, अथवा
- (ii) यदि किसी कारण से वह इच्छुक न हो या कार्य करने में समर्थ न हो, तो कानूनी तौर पर केंद्र/यूनिट के प्रधान के लिए यह सही होगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करे। यदि मध्यस्थ क्रय कार्यालय के प्रधान द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति है तो उसके मृत्यु, किसी भी कारणवश कार्य की अनदेखी करने या मना करने या त्यागपत्र देने के कारण, कानूनी तौर पर केंद्र/यूनिट के प्रधान को या तो स्वयं के निर्णय से आगे बढ़ना चाहिए अथवा पद छोड़कर जाने वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए।

उपरोक्त मध्यस्थता एवं शांतिपूर्ण समाधान अधिनियम 1996 तथा उसके अधीन नियमों एवं वैकल्पिक आधार पर कोई भी संवैधानिक संशोधन के तहत, इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू माना जाएगा। मध्यस्थ के पास यह अधिकार होगा कि वह क्रेता तथा संविदाकार की सहमित से निर्णय लेने तथा उसके प्रकाशन के लिए समय सीमा को बढ़ा सकता है। मध्यस्थता के लिए स्थल क्रेता द्वारा अपनी संपूर्ण विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि तर्कसंगत ढंग से संभव हो तो, संविदा के अंतर्गत चल रहे कार्य मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान भी जारी रहेंगे।

संविदाओं के प्रस्तुतीकरण तथा उसके लागू करने के प्रावधानों से संबंधित किसी भी विवाद या विसंगति के मामले में, ऐसे विवाद या विसंगति का संदर्भ या तो मध्यस्थता के किसी भी पक्षकार द्वारा या सार्वजनिक उद्यम विभाग में किसी भी मध्यस्थ द्वारा दिया जा सकता है। वर्ष 1996 की मध्यस्थता अधिनियम इस खंड के अंतर्गत हो रहे मध्यस्थता पर लागू नहीं होंगे। मध्यस्थ का निर्णय विवाद से जुड़े पक्षकारों पर लागू होगा बशर्तें यदि कोई भी पक्षकार जो इस निर्णय से सहमत न हो तथा आगे के संदर्भ हेतु इस पर पुनः निर्णय लेने हेतु इसे विधि सचिव, विधि कार्य मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को न भेजे। विवाद से जुड़े पक्षकारों को, मध्यस्थ द्वारा सूचित मध्यस्थता की लागत को समान रूप से वहन करना होगा।

18. आपूर्तिकर्ता के प्रति-नियम एवं शर्ते:

जहां कहीं भी प्रति-नियम एवं शर्तें मुद्रित या साइक्लोस्टाइल शर्तें आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित की गई हैं, वे क्रेता द्वारा स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं होगी जब तक कि उस पर विशेष लिखित स्वीकृति न दी जाए।

19. सामग्रियों के क्रय हेतु सुरक्षा:

सफल निविदाकारों को संविदा के कार्यान्वयन हेतु क्रेता द्वारा प्रदान की जा रही सामग्रियों या संपत्तियों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी या क्रेता द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अन्य किसी प्रपत्र को प्रस्तुत करना होगा।
